न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर ए एस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 10/2021

1. भादरराम पुत्र श्री इन्द्राज जाति गुंसाई साकिन गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर
2. अधिशाषी अभियन्ता पेयजल योजना तारानगर जिला चुरू।

–रेस्पोन्डेन्टस

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांकः–15.04.2026

अपीलांट भादरराम पुत्र श्री इन्द्राज जाति गुंसाई साकिन गन्धेली तहसील रावतसर द्वारा नामान्तरण आदेश दिनांक 20.12.1988 नामान्तरण सं. 70 रोही मौजा गन्धेली बारानी को अपास्त किये जाने बाबत अपील पेश की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलाधीन नामान्तरण सं. 70 दिनाक 20.12.1988 रोही मौजा गन्धेली बारानी तहसील नोहर विधि की अवहेलना में पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

2. अपीलान्ट के नाम से रोही मौजा गन्धेली बारानी में उपनिवेशन तहसीलदार द्वारा रोही मौजा गन्धेली में कुल 15 बीघा 5 बिस्वा बारानी भूमि सन 1981–1982 में एक साला टी.सी. पर आवंटन की गई थी। जिसका नवीनीकरण हर साल लगातार सन् 1989–90 तक होता रहा है। उक्त भूमि का कब्जा अपीलान्ट को उसी वक्त दे दिया गया था एवं उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में पर्चा खतौनी में दर्ज हो चुकी है एवं पर्चा खतौनी अनुसार चक नम्बर गन्धेली बारानी के प.न. [illegible]/16 के किला नं. 22 की 8 बिस्वा किला नं. 23 की 4 बिस्वा किला नं. 24 की 15 बिस्वा किला नं. 25 की 15 बिस्वा कुल 2 बीधा 12 बिस्वा प. न. 94/24 के किला नं. 21 की 15 बिस्वा, 22 की 15 बिस्वा, 23 की 16 बिस्वा 24 की 16 बिस्वा, 25 की 16 बिस्वा कुल 3 बीघा 18 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:57 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि प. नं. 95/9 के किला नं. 2 की 1 बिस्वा 3 की 18 बिस्वा, 4 की 1 बिस्वा 5 की 1 बीघा, 6 की 1 बीघा, 7 की 1 बीघा, 8 की 5 बिस्वा, किला नं. 14 की 14 बिस्वा किला नं. 5 की 1 बीघा 16 की 1 बीघा, 17 की 2 बिस्वा, 25 की 15 बिस्वा कुल 8 बीघा 15 बिस्वा इस प्रकार कुल 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। उपरोक्त भूमि अपीलान्ट को दिनांक 16.11.1989 को उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा किमतन पुख्ता आवंटित कर दी गई थी। जिसकी राशि किश्तो में अदा की जानी थी। जिसकी अपीलान्ट ने सम्पूर्ण राशि अदा करके खातेदारी अधिकर प्राप्त कर लिये थे। और खातेदारी का पट्टा अपीलान्ट के पक्ष में जारी हो चुका है।

3. अपीलाधीन नामान्तरण में वर्णित भूमि अपीलान्ट को आवंटित भूमि है उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु रेस्पो. स. 1 द्वारा कोई अपील नही की गई तथा रेस्पो. सं. 1 ने अपीलान्ट को आवंटित भूमि का तथा अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन आजतक बहाल है विधि एवं प्रभाव में है उक्त आवंटन के रहते नामान्तरण गैर कानुनी ढंग से रेस्पो. सं. 2 के पक्ष में तस्दीक व स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के पास वाद भूमि का कब्जा काश्त अनवरत चला आ रहा है। मातहत अदालत ने कब्जे हेतु कोई कार्यवाही आजतक नही की तथा ना ही रेस्पो. सं. 2 के पास कभी भी वाद भूमि का कब्जा नही रहा है। अपीलान्ट को आवंटित भूमि का रेस्पो. स. 2 के पक्ष में अपीलाधीन नामान्तरण गैर कानुनी है तथा एक पक्षीय है, इसलिए अपास्तनीय है।

4. अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक व स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई नोटिस नही दिया गया है तथा जवाब देही का अवसर दिये बिना एंव बिना सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित अपीलाधीन नामान्तरण पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

5. आवंटन के वक्त से लेकर आजतक अपीलान्ट के पास कब्जा काश्त अनवरत चला आ रहा है। एवं रेस्पो. सं 2 के पास कभी भी कोई कब्जा नही रहा है एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 25.06.2020 के अनुसार बाद भूमि का कब्जा काश्त अपीलान्ट का ही बताया गया है एवं रेस्पो. स. 2 का नाम महज नुमाईशी तौर से है। मातहत अदालत ने रेस्पो. स. 2 के पक्ष में अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व कोई जाँच नही की गई है तथा बिना कब्जा के तथा आवंटन अपीलान्ट के बहाल रहते गैर कानुनी ढंग से रेस्पो. स. 2 के पक्ष में अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किया गया है जो अपास्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:57 IST
Reason: SelfAttested

6. मातहत अदालत ने अपीलाधीन नामान्तरण बिना विधिक प्रक्रिया के किया है। मातहत अदालत को वाद भूमि का नामान्तरण रेस्पों. 2 के पक्ष में दर्ज करने का कोई कानुनी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिकार नही था तथा किसी भी न्यायालय अथवा सक्षम अधिकारी का वाद भूमि का नामान्तरण रेस्पों. 2 के पक्ष में करने व किस्म परिवर्तन करने का कोई आदेश अथवा निर्णय रेस्पो. सं. 1 के पास नही था। बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश अथवा निर्णय के गैर कानूनी ढंग से बिना किसी अधिकारिता के क्षेत्राधिकार विहिन अपीलाधीन नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, जो कि अपास्तनीय है।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया किया कि अपीलाधीन नामान्तरण संख्या–70 में वर्णित भूमि अपीलान्ट को आवंटित भूमि है। आवंटन निरस्त करने हेतु रेस्पो. संख्या–1 द्वारा कोई अपील नही की गई तथा रेस्पो. सं. 1 ने अपीलान्ट को आवंटित भूमि का आवंटन आज तक बहाल है। आवंटन के रहते नामान्तरण गैर कानुनी ढंग से रेस्पो. सं. 2 के पक्ष में तस्दीक व स्वीकृत किया है। वाद भूमि का कब्जा काश्त अपीलांट के आदिनांक तक है। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा हेतु कोई कार्यवाही आज तक नही की तथा ना ही रेस्पो. सं. 2 के पास कभी भी वाद भूमि का कब्जा नही रहा है। अपीलान्ट को आवंटित भूमि का रेस्पो. स. 2 के पक्ष में अपीलाधीन नामान्तरण गैर कानुनी है एंव विधि विरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 20.12.1988 को अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा तस्दीक नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 20.12.1988 का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न हल्का पटवारी लालपुरा की दिनांक 25.06.2020 की रिपोर्ट के अनुसार चक गंधेली बारानी के प0नं0 94/16(440) के किला नं0 22 मे 0.025है0 किला नं0 23/2 में 0.088 है0 प0नं0 95/9(461) के किला नं0 3 में 0.113है0, 14/2 में 0.101है0, 16/2 में 0.126है0 एंव 25/2 में 0.126 है0 कुल रकबा 0.579है0 भूमि तथा इसी पत्थर 95/9(23) जो चक 2पीपीएम में मौजूद किला नं0 2/3 में 0.063है0, 8/2 में 0.126है0, 17/3 में 0.127है. कुल रकबा 0.316है0 भूमि। इसी प्रकार [illegible] की कुल भूमि 0.895है0। भादरराम पुत्र इन्द्राजगर कौम गुसाई सा[illegible] होना बताया गया। लोगों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इस [illegible] सालों से भादरराम पुत्र इन्द्राजगर द्वारा कब्जाधारक है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में यह भूमि जलदाय विभाग पीएचईडी के खातों में दर्ज है। इस भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थगन दर्ज नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:57 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 20.12.1988 को दर्ज करनें में त्रुटि कारित की है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 20.12.1988 को अपास्त किया जाता है एंव पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 20.12.1988 में दर्ज के भूमि की जांच की जाकर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करे।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 15/4/26 को सरेइजलास सुनाया गया

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:57 IST
Reason: SelfAttested